जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
निगम पहचान नम्बर (CIN)-U40109RJ2000SG016483
न्यू पॉवर हाउस, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003
फोन नं. 0291-2742229 (का.) 0291-2741870 (फै.) ई-मेल : mdjodhpurdiscom@gmail.com

क्रमांक : जोविविनिलि/प्रनि/अनु................./पत्रा. ..../प्रे. 56   जोधपुर, दिनांक 25/6/2020

परिपत्र

विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निगम द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कर्मचारियों की घातक व अघातक दुर्घटनाओं में कमी आई है परन्तु अभी भी "Zero accident" का लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु इस क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्तर पर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। प्रायः यह देखने में आया है कि निगम के तकनीकी कामगार विद्युत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करते समय कई प्रकार की असावधानियां बरतते हैं, जिसके कारण अक्सर विद्युत दुर्घटनाऐं घटित होती है। विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निगम द्वारा जारी आदेश संख्या कमशः 1731 दिनांक 19.08.2013, 649 दिनांक 25.06.2014, 604 दिनांक 05.02.2018 के तहत समय-समय पर सुरक्षा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं, परन्तु यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि इन सुरक्षा निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना नहीं होने के कारण विद्युत दुर्घटनाऐं घटित हो रही है। कर्मचारियों की विद्युत दुर्घटनाओं का मूल कारण कार्य के दौरान सुरक्षा साधनों का प्रयोग नहीं करना एवं सुरक्षा निर्देशों की उचित पालना नहीं करना रहता है। दुर्घटना के प्रमुख कारण संबंधित सब स्टेशन से शट डाउन लेने देने की प्रकिया में बरती गई असावधानी/लापरवाही तथा संबंधित कार्यस्थल पर लाईन का अर्थिंग नहीं करना भी रहता है।

"Permit to work" प्रकिया को निर्धारित प्रपत्र में शट डाउन लेने अथवा देने वाले कर्मचारी/अधिकारी का पूर्ण नाम, मय पदनाम एवं सही समय का ब्यौरा उचित स्थान पर इंगित किया जावे तथा सुरक्षा उपकरणों के उपयोग एवं सुरक्षित कार्य प्रणाली सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से निम्न दिशा निर्देश पुनः प्रसारित किये जाते हैः-

सुरक्षित कार्य प्रणालीः-

विद्युत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करते समय सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता एवं श्रमिक द्वारा निम्न सावधानियां बरती जावेः-

1. विद्युत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करने से पूर्व लिखित शट डाउन "Permit to work" प्राप्त करे। यदि दो तरफ से विद्युत प्रवाह (बैंक फीड) है तो विद्युत प्रवाह दोनों तरफ से बंद करवाने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करे। कार्य समाप्ति के उपरान्त पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही कि कोई व्यक्ति लाईन पर कार्य नहीं कर रहा है "Permit to work" वापस करे।
2. जिस लाईन पर काम किया जाना है उसके उपर से अन्य 33/11 केवी व एल.टी. लाईन कॉसिंग हो रही हो तो उसका भी शटडाउन लेवे या उससे पूर्ण सुरक्षा (दोनो ओर से लाईन अर्थ करना) सुनिश्चित करे।
3. शटडाउन दिये जाने के साथ ही सबस्टेशन पर उपस्थित कर्मचारी लॉग शीट में उसका इन्द्राज करे तथा संबंधित लाईन पर शटडाउन की तख्ती लगावे। यदि एक फीडर पर एक से अधिक व्यक्ति द्वारा शटडाउन लिया गया तो उतनी ही शटडाउन प्लेटे लगावें।

4. यह अवश्यक देख लेवे कि लाईन बंद करवाने के बाद जिस सैक्शन पर कार्य करना है, उसे दोनो तरफ से अस्थायी अर्थ करने के बाद ही काम शुरू करे। जिस स्थान से शटडाउन लिया है वहां पर व कार्य के स्थान से एक स्पान पहले अस्थायी अर्थ संबंधित कर्मचारी द्वारा किया जावे और कार्य पूरा होने पर उसी के द्वारा अस्थायी अर्थ हटाया जाये। एक फेज पर कार्य करना हो तो भी तीनों फेज के तारों को अस्थायी अर्थ से जोड़ना चाहिए। एल.टी. लाईन के न्यूट्रल को भी अर्थ किया जाना चाहिए।
5. लाईन पर चढ़ते समय सुरक्षा उपकरण (सेफ्टी बैल्ट) का उपयोग अवश्य करें। कार्य करते समय सेफ्टी बैल्ट सदैव पोल से बांधकर ही रखनी चाहिए न कि क्रास आर्म्स अथवा पिन से।
6. चालू एल.टी. लाईन पर काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे – इन्सूलेटेड प्लायर, रबड के दस्ताने, सेफ्टी बैल्ट आदि जरूर काम में ले। रोड लाईन फेज को भी चालू मानकर ही काम करे।
7. विद्युत लाईनों को डिस्चार्ज ऑपरेटिंग/अर्थिंग रोड से ही करे।
8. जी.ओ. (आइसोलेटिंग स्वीच) काटने के पश्चात यह जाचं कर सुनिश्चत कर लें कि इसकी सभी ब्लैडों में विद्युत प्रवाह विच्छेद हो गया है।
9. अण्डर ग्राउंड केबल पर कार्य प्रारम्भ करने से पहले उद्गम स्थान से विच्छेद (डिस्कनेक्ट) करना चाहिए तथा फिर अर्थ करना चाहिए।
10. नंगे हाथ से कभी भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए और ना ही हटाना चाहिए। हमेशा रबड के दस्ताने एवं अन्य स्वीकृत सुरक्षात्मक उपकरण काम में लेने चाहिए।
11. शहरी क्षेत्र में 11 केवी लाईन का शटडाउन केवल कनिष्ठ अभियंता द्वारा ही दिया जाए।
12. केवल अधिकृत कर्मचारी ही विद्युत लाईन पर कार्य करे।
13. खम्भे पर सीढ़ी की मदद से चढ़े। सीढ़ी लकड़ी या इन्सूलेटेड मैटेरियल की बनी होनी चाहिए। एक समय में सीढ़ी पर एक से अधिक कामगार ना चढ़े।
14. सीढ़ी की खम्भे से दूरी (आधार) उसकी लंबाई से एक चौथाई से कम व आधे से ज्यादा ना हो और लगाते समय यह भी ध्यान रखे कि सीढ़ी की जगह फिसलने वाली न हो तथा अन्य कामगार द्वारा उसको पकड़कर रखा जाये।
15. खम्भे पर कार्य करते समय किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ने पर उस सामग्री को प्राप्त करने हेतु रस्सी का प्रयोग करें।
16. प्रत्येक वोल्टेज को खतरनाक समझे तथा कार्य करते समय पूर्ण सावधानी बरतें।
17. ड्राप आउट फ्यूज तथा हॉर्न गैप फ्यूज लगाते समय कामगार यह सुनिश्चित कर लें कि विद्युत प्रवाह विच्छेद कर दिया गया है।
18. जिन खम्भों पर डबल करंट उपलब्ध है वहां पर रिफ्लेक्टर कलर से डबल करंट की चेतावनी लिखी जाए।
19. 33/11 केवी सब स्टेशन तथा अन्य निर्धारित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाये तथा आम नागरिकों को निषेध क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जाए।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चत की जावें। भविष्य में उक्त दिशा निर्देशों की पालना नहीं किये जाना पाये जाने पर यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो न केवल संबंधित कर्मचारी बल्कि संबंधित कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

(अविनाश सिंघवी)
प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक (तकनीकी / वित्ततीय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
2. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. मुख्य नियंत्रक लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर / बाड़मेर / बीकानेर–जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बाड़मेर / बीकानेर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (M&P-IT/CSS-S&T/MM&C), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
7. कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. संयुक्त निदेशक कार्मिक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
9. अधीक्षण अभियंता(नगरवृत / जिलावृत / पवस / सतर्कता / TW / वाणिज्य / MM&C / M&P/BFL/Traing/CSS/I&S/QC/PPM/IT) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / बाड़मेर / जालोर / जैसलमेर / बीकानेर / चुरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़।
10. मुख्य लेखाधिकारी (B&R/IA/W&M), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
11. उप अधीक्षक पुलिस(सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बाड़मेर / जालोर / बीकानेर।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

25/6/2020

(हवा सिंह चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।